राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–।) विभाग

क्रमांक प. 1(119)एम.ई./ग्रुप-1/2005 जयपुर, दिनांक -5 OCT 2017

आदेश

इस विभाग के आदेश दिनांक 24.08.2017 द्वारा डॉ0 संजय शर्मा, सहायक आचार्य, कार्डियोलोजी के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुए इनका पदस्थापन मेडिकल कॉलेज, कोटा में किया गया था। डॉ0 शर्मा को आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के भीतर पदस्थापन स्थान पर अपनी उपस्थिति देनी थी।

डॉ0 शर्मा द्वारा 15 दिवस की समयावधि दिये जाने के उपरान्त भी डॉ0 शर्मा द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। उक्त वस्तुस्थिति से यह स्पष्ट होता है कि डॉ0 शर्मा नियुक्ति पर कार्यग्रहण कर नियुक्ति प्राप्त करने के इच्छुक नहीं है।

डॉ0 शर्मा के निर्धारित समय में पदस्थापन स्थान पर उपस्थिति प्रस्तुत नहीं करने के कारण इनका नियुक्ति आदेश निष्प्रभावी हो गया है।

अतः डॉ0 संजय शर्मा, सहायक आचार्य के पक्ष में जारी उपरोक्त वर्णित नियुक्ति आदेश दिनांक 24.08.2017 को एतद्द्वारा निरस्त किये जाते है।

आज्ञा से

(रतन लाल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज0 जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक प. 7(35)भर्ती/गोपनीयता/2013-14/553 दिनांक 15.03.2017 के सन्दर्भ में।
4. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियत्रंक, मेडिकल कॉलेज, कोटा।
6. संबंधित चिकित्सक शिक्षक मार्फत प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज, कोटा।
7. रक्षित पत्रावली।

(महेश व्यास)
सहायक शासन सचिव